crim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर (मु०), कोटा मुकाम

छोटू लाल बनाम ओमकीलाल

रस्म मुकदमा 53, 188 राज. न 565/19 सन् 2009.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6/6/19	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित/अनु पत्रावलियों की अधिकर्ता/अन्य कार्यों में व्यस्तता के कारण आज इस प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही नहीं हो सकी है। अतः पत्रावली पूर्ववत दिनांक 12/6/19 को पेश हो। [signature]	
12.6.2019	पत्रावली पेश हुयी। उभय पक्ष उपस्थित। प्रस्तुत प्रकरण के वादी छोटू लाल आत्मज गणेशराम व श्रीमती पुष्पा पत्नी स्व. गणेशराम (दौराने वाद मृत) ने वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर ग्राम गलाना तहसील लाडपुरा के आराजी खसरा नं. 3 रकबा 1.02 हैक्टेयर, खसरा नं. 302 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नं. 548 रकबा 0.84 हैक्टेयर व खसरा नं. 684 रकबा 2.91 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 4.89 हैक्टेयर का वादी गण व प्रतिवादी क्र. 1 के मध्य 1/2-1/2 हिस्सा करते हुये बंटवारे की डिक्री पारित की जावे। दौराने वाद दिनांक 6.12.10 को	
[signature]		

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा ग्राम गलाना तहसील नागपुरा के खसरा नं. 684 की 2.91 हैक्टेयर में से पूर्वी तरफ की 1.28 हैक्टेयर व खसरा नं. 302 की 0.12 हैक्टेयर में से 0.06 हैक्टेयर वादीगण के हिस्से में लगा (कुल किता 2 कुल रकबा 1.34 है.) तथा खसरा नं. 3 की 1.02 हैक्टेयर, खसरा नं. 684 की 2.91 हैक्टेयर में से शेष बची हुयी 1.63 हैक्टेयर, खसरा नं. 302 की शेष बची भूमि 0.06 हैक्टेयर तथा खसरा नं. 548 की 0.84 हैक्टेयर प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य विभाजित करते हुये राजीनामा प्रस्तुत किया गया, जो न्यायालय द्वारा दिनांक 6.12.10 को तस्दीक किया गया।

राजीनामा दिनांक 6.12.10 को विधिवत प्रस्तुत नहीं होने के कारण न्यायालय द्वारा दिनांक 31.3.2011 को प्रार्थनापत्र राजीनामा खारिज किया गया जिसके विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की गयी। माननीय मण्डल ने निर्णय दिनांक 17.6.11 द्वारा राजीनामे के आधार पर प्रस्तुत बंटवारे को प्रोत्साहन देने तथा सह खातेदारों के मध्य विभाजन में तकनीकी बातों को नजरअंदाज करते हुये सहखातेदारों को राहत प्रदान करने के निर्देश दिये गये।

Sd/-

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
~~मा~~ माननीय राजस्व मंडल के निर्णय दिनांक 17.6.2011 के विरुद्ध वादीगण द्वारा पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। पुनः माननीय राजस्व मंडल ने निर्णय 30.12.2013 द्वारा पक्षकारों की सुनवाई कर, ~~राजीनामे~~ पक्षकारान के मध्य निष्पादित राजीनामे के ~~अनुसार~~ आधार पर निर्णय पारित करने का आदेश दिया गया।	
माननीय राजस्व मंडल के निर्णय के विरुद्ध वादीगण द्वारा दायर रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 08.04.2019 को dismissed as withdrawn की गयी।	
वादी कुना द्वारा दिनांक 22.04.2019 को राजीनामा तस्दीक करवाने व शीघ्र सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनो पक्षों को सुना गया। वादी का कथन है कि उसके द्वारा High Court मे दायर writ को withdrawn कर लिया गया है, अतः दिनांक 6.12.10 को पक्षकारान के मध्य निष्पादित राजीनामे को तस्दीक / स्वीकार करते हुये, शीघ्र सुनवाई की जावे वकील प्रतिवादी का कथन है वादी द्वारा high court मे writ petition dismissed as withdrawn होने के पश्चात, शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र infectitious हो गया है। तथा राजस्व मंडल ने अपने दोनो निर्णय दिनांक 17.6.11 व 30.12.2013	

Sd/-

Scanned by CamScanner

ज.-809-2

द्वारा राजीनामे के दिनांक 6.12.2010 को
सही माना है। तथा राजीनामे के आधार
पर डिक्री पारित की जावे।

पत्रावली का आद्योपान्त
अवलोकन किया। बहस सुनी गयी।
वादी द्वारा High Court में दायर
Writ याचिका के dismissed होने
के उपरान्त, माननीय H.C. के
निर्णय दिनांक 17.6.11 व 31.12.2015
के अनुसार Order 23 Rule 3 के तहत
डिक्री पारित की जानी चाहिए। Order
23 Rule 3 पक्षकारों के मध्य समझौता
(राजीनामा) का निस्तारण करता है। अतः
हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पक्षकारान
के मध्य दिनांक 6.12.2010 को
निष्पादित राजीनामे के आधार पर
विभाजन की final Decree पारित
किया जाना उचित समझते हुए फाईनल
डिक्री पारित की गयी। निर्णय दिनांक
12.6.2019 को सुनाया गया। पत्रावली
फैसल शुमार हो।

Sd/-

फाइनल डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(आदेश .20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (मुख्यालय), कोटा

छोटूलाल आत्मज गणेशराम, जाति चमार, निवासी ग्राम गलाना, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (वादी)

बनाम

1. जानकीलाल आत्मज ऊदा, जाति चमार, निवासी ग्राम गलाना, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

प्रकरण संख्या : 565/09

इस न्यायालय के विचाराधीन प्रकरण संख्या 565/09 बउनवान छोटूलाल बनाम जानकीलाल वगैरहा का राजीनामा तस्दीक हो जाने पर राजीनामा अनुसार ग्राम गलाना, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा निम्नानुसार आराजी अलग-अलग खाते में दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश प्रदान किये जाते है। उक्त राजीनामा की वादी क्रम 2 (सुक्खी बेवा गणेशराम) के फौत हो जाने से उसके हिस्से की आराजी उसके विधिक वारिस वादी क्रम 1 (छोटूलाल आत्मज गणेशराम) के खाते दर्ज की जावेगी।

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	दिशा
1	छोटूलाल आत्मज गणेशराम, जाति चमार, निवासी ग्राम गलाना, तहसील लाडपुरा, कोटा	684 302	1.28 हैक्टर 0.06 हैक्टर	पूर्वी
	योग	**किता 2**	**1.34 हैक्टर**	
2	जानकीलाल आत्मज ऊदा, जाति चमार, निवासी ग्राम गलाना, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा	3 684 302 548	1.02 हैक्टर 1.63 हैक्टर 0.06 हैक्टर 0.84 हैक्टर	
	योग	**किता 4**	**3.55 हैक्टर**	

राजीनामा अनुसार :-

1. खसरा नम्बर 684 में स्थित ट्यूबवेल प्रतिवादी क्रम 1 के कब्जे स्वामित्व का रहेगा। इस ट्यूब वेल से को सिंचाई हेतु पानी प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं रहेगा।
2. वादी अथवा प्रतिवादी द्वारा यदि किसी बैंक अथवा किसी व्यक्ति से उक्त सम्मिलित खाते के उनके हिस्से की भूमि पर ऋण प्राप्त कर रखा है तो इस प्रकार के ऋण की सम्पूर्ण राशि ऋणी के हिस्से की भूमि पर कायम मानी जावेगी और राजस्व रिकार्ड में ऋणी के हिस्से की भूमि ही ऋण हेतु भारयुक्त मानी जावेगी।

- खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।
- यह डिक्री मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 12 जून, 2019 को जारी की गई।

(सरोज ढाका) आर0ए0एस0
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मु.), कोटा

वाद के खर्चे

वादी	रूपये	प्रतिवादी	रूपये
1.वादपत्र के लिये स्टाम्प 2शक्तिपत्र के लिये स्टाम्प 3.प्रदर्शो के लिये स्टाम्प 4..............रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों केलिये निर्वाह व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामील		शक्तिपत्र के लिये स्टाम्प अर्जी के लिये स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिये निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Scanned by CamScanner